राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक : प0 27 (06) चिस्वा/02/2017 जयपुर, दिनांक 08.02.2017

M/s Remi Elektrotechnik Ltd. Remi House 11 Cama Indl. Estate Goregaon East Mumbai

अपीलान्ट

बनाम

कार्यकारी निदेशक (ई.पी.एम.), राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड, जयपुर।

रेस्पोंडेंट

प्रथम अपील संख्या 06/2017
अपील अन्तर्गत धारा 38 (1),राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम, 2012

निर्णय दिनांक 08.02.2017

प्रस्तुत अपील पर, सुनवाई दिनांक 02.02.2017 को की गई। अपीलान्ट एवं रेस्पोन्डेन्ट दोनों पक्षकारों की बहस सुनी गई। अपीलान्ट फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd. Remi House 11 Cama Indl. Estate Goregaon East Mumbai की ओर से अधिवक्ता श्री सुकृति कासलीवालएवं फर्म के प्रतिनिधि श्री विभोर साहनी उपस्थित हुये तथा आर.एम.एस.सी.एल की ओर से कार्यकारी निदेशक (ई.पी.एम.), वरिष्ठ प्रबंधक–। (ई.पी.एम.), वरिष्ठ प्रबंधक–।। (ई.पी.एम.) एवं कन्सलटेन्ट बायोमेडिकल इन्जीनियर (पी) आदि उपस्थित हुये। संक्षिप्त मे अपील के तथ्य इस प्रकार है:–

1. आर.एम.एस.सी.एल. द्वारा उपकरण Refrigerated Centrifuge for Blood Components 6-8 Bags की खुली निविदाए आमन्त्रित किये जाने हेतु निविदा सूचना संख्या 184 दिनांक 24.10.16 जारी की गई। निविदाओ की तकनीकी बिड दिनांक 07.12.16 को खोली गई। जिसमें 02 फर्मो M/s Vision Diagnostics (India) Pvt. Ltd., Delhi & M/s Remi Elektrotechnik Ltd. , Mumbai ने अपनी निविदाए प्रस्तुत की।
2. निगम स्तर पर उक्त प्राप्त 02 फर्मो की तकनीकी बिडों का मूल्यांकन एवं उपकरण का डेमोन्सट्रेशन दिनांक 03.01.17 को लिया जाकर, कार्यालय आदेश क्रमांक F-8(85) RMSC/EPM/M-1/R. C. 16-17/NIB-184/2017/124 Dated 10.01.17 से List of Responsive/ Non Responsive Bidders की घोषणा की गई।
3. निगम के आदेश क्रमांक 124 दिनांक 10.01.17 में अपीलान्ट फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd., Mumbai की निविदा को आईटम Refrigerated Centrifuge for Blood Components 6-8 Bags के लिये, Technically Not Recommended in Technical Demonstration के कारण से Non-Responsive Declare किया गया। निगम के आदेश क्रमांक 124 दिनांक 10.01.17 अनुसार इस आईटम के लिये शेष रही एक फर्म M/s Vision Diagnostics (India) Pvt. Ltd., Delhi की वित्तीय बिड दिनांक 13.01.17 को खोली गई।
4. अपीलान्ट फर्म ने इस निविदा की प्री–बिड के सन्दर्भ में उनके participation हेतु एक अभ्यावेदन निगम को प्रस्तुत किया जिस पर Respondent द्वारा तकनीकी स्पेसिफिकेशनो मे कोई परिवर्तन नही किया। निगम का तर्क रहा कि प्री–बिड मे प्राप्त अभ्यावेदनो को यथोचित होने पर ही स्वीकार किया जाता है, एवं सभी अभ्यावेदनो का प्रत्युत्तर नही दिया जाता है।
5. अपीलान्ट फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd., Mumbai ने निगम के आदेश क्रमांक 124 दिनांक 10.01.17 से, उनकी निविदा को आईटम Refrigerated Centrifuge for Blood Components 6-8 Bags

के लिये Non Responsive घोषित किये जाने पर आपत्ति दर्ज कराते हुये, व्यथित होकर हस्तगत प्रथम अपील एवं Stay Application दिनांक 20.01.17 under RTPP Act 2012 Section 38(1) प्रस्तुत की है।

6. अपीलान्ट फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd., Mumbai की Stay Application पर दिनांक 20.01.17 को निविदा की कार्यवाही के लिये Stay Order जारी किये गयें।
7. दौरान सुनवाई अपीलान्ट फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd., Mumbai ने कहा कि निगम की इस निविदा सूचना से पूर्व इसी आईटम के लिये निविदा संख्या 117 दिनांक 28.09.15 जारी की गई थी। जिसमे अपीलान्ट फर्म ने भाग लिया था। उस निविदा में अपीलान्ट फर्म का Same quoted Model - KBM70 Plus था। जिसके लिये भी ततनिविदा से सम्बन्धित तकनीकी समिति की डेमोन्सट्रेशन रिपोर्ट में उनके Same quoted Model - KBM70 Plus को Qualified किया था।
8. इस अपील से सम्बन्धित निविदा संख्या 184 दिनांक 24.10.16 में अपीलान्ट फर्म ने पुनः Same Model - KBM70 Plus का ही डेमोन्सट्रेशन प्रस्तुत किया है जिसमे, तकनीकी समिति ने डेमोन्सट्रेशन रिपोर्ट मे अपीलान्ट फर्म के Same quoted Model - KBM70 Plus को Not Recommended किया है। तकनीकी रिपोर्ट में अपीलान्ट फर्म को जिन बिन्दुओ पर Non Qualified किया गया हैं उनमे से एक बिन्दु 2 (C) - Microprocessor Controlled के सम्बन्ध में तकनीकी समिति की रिपोर्ट Lid Operation microprocessor not controlled का कारण अंकित किया है। जबकि दौरान बहस अपीलान्ट फर्म का तर्क था कि उनका Product Microprocessor Controlled है और Lid Operation तकनीकी स्पेसिफिकेशन का बिन्दु नही है।
9. डेमोन्सट्रेशन रिपोर्ट मे अपीलान्ट फर्म को एक अन्य तकनीकी स्पेसिफिकेशन मे Poor Fabrication of Plastic inserts and hook adaptor which may lead to tearing of bags के कारण सें Non Qualified किया है। इसके लिये तकनीकी समिति ने महात्मा गांधी हॉस्पिटल में Centrifuge Machine की Accidental Opening of Lid During The Operation of Machine का दृष्टान्त अवगत कराया। यह दृष्टान्त किसी अन्य कम्पनी की मशीन होने का भी तकनीकी समिति ने सुनवाई दौरान स्वीकार किया। तकनीकी समिति ने अपीलान्ट फर्म के Quoted Model के सम्बन्ध में दौरान बहस कहा कि मशीन के Hook Adaptors properly finished नही थें बल्कि Welded थे जिससे कि Blood Bags फटने एवं दुर्घटना की सम्भावना रहती है। परन्तु मशीन के डेमो के दौरान ऐसा कोई Instance नही हुआ।

पत्रावली देखने तथा बहस सुनने के पश्चात् यह स्पष्ट है कि विभाग के पत्रांक 124 दिनांक 10.01.2017 द्वारा अपीलार्थी फर्म को तकनिकी रूप से अयोग्य घोषित करने के संबंध में जो कारण बताया गया है वह पर्याप्त रूप से नहीं है। Demo में Recommendation नहीं करना "पर्याप्त कारण" नहीं है। Demo में किसी कारण से Specification नहीं हुये, ये बताया जाना प्राकृतिक न्याय के निहान्त के अनुकूल है।

अतः तकनिकी समिति द्वारा बिना किसी पर्याप्त आधार पर मात्र किसी अन्य कम्पनी के दृष्टान्त के आधार पर तथा वर्णित Recommendation के आधार पर के अलग जाकर टिप्पणी कर अयोग्य घोषित किया गया है। इसलिए प्रकरण में प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम द्वारा फर्म को Non Responsive घोषित करने के कारण पर्याप्त रूप से खुलासा नहीं करने के संबंध में यह निर्देश देना उचित होगा कि वे अधिक से अधिक प्रतियोगी बिड लिए पुनः सही प्रकार से तकनिकी जांच करना उचित होगा।

आदेश

उपरोक्त कारण से अपीलार्थी की अपील अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है। निर्णय से सभी पक्षकारों को अवगत कराया जावें। आदेश की प्रति पक्षकारान को निशुल्क उपलब्ध कराई जावे एवं राज्य उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जावें। पत्रावली निर्णय मे सम्मिलित की जाकर कार्यालय में नियमानुसार संधारित की जाती है।

अपीलीय अधिकारी
एवं शासन सचिव